न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–589/2025

जीसीएमएस नं. :– 2025/723

प्रार्थीगण :–
1. राजेश पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी खांगटा

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज दिनांक :–

निर्णय

दिनांक :– 19/11/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम खांगटा में कृषि भूमि आई है जिसमें पुराना खाता संख्या 905 खसरा संख्या 619/1 रकबा 1.08 हैक्टेयर के स्थान पर सेटलमेन्ट सर्वे रिवर्स के दौरान नया खाता संख्या 901 खसरा संख्या 2338 में रकबा 0.9832 हैक्टेयर कर दिया गया। अतः उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त अशुद्वि को शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी के पुराना खाता संख्या 905 खसरा संख्या 619/1 रकबा 1.08 हैक्टेयर में सेटलमेन्ट सर्वे रिवर्स के दौरान खसरा संख्या 2338 रकबा 0.9832 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2337 रकबा 0.0671 हैक्टेयर बनाया गया तथा खसरा संख्या 2337 का रकबा 0.0671 हैक्टेयर ओमप्रकाश पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी खांगटा के पुराना खाता संख्या 64 नया खाता संख्या 64 खसरा में जोड़ दिया गया, जो कि राजस्व रेकर्ड में अशुद्वि है। अतः ओमप्रकाश पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी खांगटा के खाता संख्या पुराना 64 नया खाता संख्या 64 से खसरा संख्या 2337 का रकबा 0.0671 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पुराना खाता संख्या 905 नया खाता संख्या 901 में जोड़ा जाना उचित है। ओमप्रकाश पुत्र आसुराम ने भी पुराना खाता संख्या 64 नया खाता संख्या 64 से खसरा संख्या 2337 की 0.0671 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाता संख्या पुराना 905 खाता संख्या नया 901 में जोड़े जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज, ओमप्रकाश पुत्र आसुराम के सहमति पत्र एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा के खाता संख्या पुराना 64 नया खाता संख्या 64 से खसरा संख्या 2337 का रकबा 0.0671 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पुराना खाता संख्या 905 नया खाता संख्या 901 में दर्ज कर नाप चौप करवा कर तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब 6018/04.08.2025 को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 19/11/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर